

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 जून 2014—ज्येष्ठ 17, शक 1936

लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 7 जून 2014

क्र. एफ-23-2-2014-सामा.-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं.-6) की धारा 4 के साथ पठित धारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित नीचे दर्शाये पुलों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पुल पर प्रति दिवस प्रति यान आधार पर निम्नलिखित मूल दरों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है:—

अनु. क्र.	विवरण	पथकर की मूल दरें दिनांक 01-05-2009 से प्रभावी (6.00 A. M. to 6.00 A. M.) (राशि रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
1.	टेम्पो, टैक्सी, मिनी बस, मेटाडोर, भरा/खाली स्टेशन वैगन या उसके समकक्ष वाहन.	39.00
2.	प्रायवेट कार, जीप, पिकअप	23.00
3.	खाली ट्रक, बस भरी एवं खाली	59.00
4.	ट्रक लोडेड	88.00
5.	मल्टी ऐक्सल ट्रक ट्रेलर	118.00
6.	अर्थ मूविंग मशीनरी (प्रति टन)	11.00

2. पथकर, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा या उनके अधिकर्ता द्वारा संग्रहित किया जाएगा. प्रत्येक पथकर प्लाजा पर पथकर की दरें, उपरोक्त दरों के आधार पर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी. पथकर बैरियर की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के अनुसार होगी.

3. उपरोक्त दरें, पुलों के लिए समय-समय पर पुनरीक्षित दरें (टोल पुनरीक्षण समिति) के अनुसार लागू होगा.
4. राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियों को इन पुलों को पार करते समय पथकर के भुगतान में छूट प्राप्त रहेगी:—
  1. भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान सरकारी कर्तव्य (ड्यूटी) पर हो.
  2. संसद तथा विधानसभा के माननीय सदस्यों के यान.
  3. समस्य यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हों.
  4. एम्बुलेंस.
  5. फायर बिग्रेड.
  6. भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान.
  7. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्राली.
  8. आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियाँ.
  9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार.
  10. अन्य वाहन जो कि म. प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत किया गया हो.

**टिप्पणी:—**पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त यान/वैन का चालक (ड्रायवर) अपना नाम, रैंक तथा कर्तव्य (ड्यूटी) जिसमें वह लगा हुआ है, कथित करेगा.

11. लोक निर्माण विभाग के लिए चयन किये गये पुल जिन पर कि यह अधिसूचना लागू होगी निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	सेतु संभाग का नाम (2)	पुल का नाम (3)	कार्य पूर्णतः दिनांक (4)
1	भोपाल	चिकलोद मार्ग के किमी. 30/8 में बेतवा नदी पर नव निर्मित पुल.	31-03-2013
2	इंदौर	सनावद खरगोन मार्ग के किमी. 52/2 में सुरपाला पर नव निर्मित पुल.	28-03-2012
3	ग्वालियर	बरसत पटौदी मार्ग के किमी. 2/4-6 में पार्वती नदी पर नव निर्मित पुल.	29-01-2012
4	रीवा	लालगांव बैकुण्ठपुर मार्ग के किमी. 10/10 जीरा नदी पर नव निर्मित पुल.	21-03-2012
5	रीवा	शिकारगंज चमराडोल मार्ग के किमी. 7/8 पर सोन नदी पर नव निर्मित पुल.	31-03-2012

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2014

क्र. एफ-23-2-2014-सा.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-2-2014-सा.-उन्नीस दिनांक 7 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2014

No. F-23-2-2014-G-XIX.—In exercise of the powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VI of 1851) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government

is pleased to grant sanction for levying toll on the following Basic Rates on the bridges shown as below, being Constructed By M.P.P.W.D., on a per day per vehicle basic with effect from the date of publication in Govt. Gazette by Government of Madhya Pradesh Public Works Department:—

S. No.	Description	Basic Toll rate effective from 01-05-2009 6.00 A. M. to 6. 00 A. M. (Amount in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Tempo, Taxi, Mini Bus, Matador Full/Empty, Station Wagon or their nearest	39.00
2.	Private Car, Jeep Pickup	23.00
3.	Truck empty, Bus Full/Empty	59.00
4.	Truck Full	88.00
5.	Multy Excel Truck, Tractor	118.00
6.	Earth Moving Machinery (Each)	11.00

2. The toll will be collected by M. P. P.W.D. or their agent, selected by Madhya Pradesh, Public Works Department. The rates of toll barrier on each toll will be specified by Madhya Pradesh P. W. D. on the basis of above rates. The physical location of Toll barrier will be as decided by M. P. P. W. D.

3. The above rates will increase from time to time as decided by Toll sanction committee of Govt. of M. P. P.W. D.

4. The State Government further declares that following categories of vehicle will be exempted from payment of toll while crossing these roads.

1. All vehicles belonging to the Government of India, Government of Madhya Pradesh and those on Government duty.

2. Vehicles belonging to the Hon'ble Member of Parliament and Member of legislative Assembly.

3. All vehicles belonging to the Indian Army on Duty.

4. Ambulances.

5. Fire Brigades.

6. Vehicles belonging to the Indian posts and Telegraph Department.

7. Tractor-Trolleys used for agriculture purpose.

8. Auto Rickshaws, Two Wheeler and Bullock carts.

9. Freedom fighters and Accredited Journalists.

10. Any other vehicles, authorized by Govt. of M. P. P. W. D.

**Note.**—The driver of the vehicles/Van so exempted from payment of toll shall State his name, rank and name of duty on which he is engaged.

List of the bridges selected for levying toll tax are as given below:

S. No. (1)	Name of Division (2)	Name of Bridge (3)	(4)
1	Bhopal	Betwa River in Km. 30/8 on Chhiklod Road.	31-03-2013
2	Indore	Surpala Bridge in Km. 52/2 on Sanawad Khargone Road.	28-03-2012
3	Gwalior	Parwati Bridge in Km. 2/4-6 on Barsat pathodi Road.	29-01-2012
4	Rewa	Jeera Bridge on Lalgaoon Baikunthour Road in Km. 10/10	21-03-2012
5	Rewa	Sone bridge on shikarganj Chamaradol Road in Km. 7/8.	31-03-2012

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJEEV SHARMA, Dy. Secy.